गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

पत्र संख्या 1161/मु०न०नि०/06

Ref......................

Dated..29-11-2006

सेवा में,

मै० एस०एम०वी० एजेन्सीज प्रा०लि०,
1862, महालक्ष्मी मार्केट,
भागीरथ प्लेस, चांदनी चौक,
दिल्ली-6.

विषय: निजी पूंजी निवेश के माध्यम से इन्टीग्रेटिड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत निजी विकासकर्ताओं की डी.पी.आर. के सम्बन्ध में।

शासन द्वारा स्वीकृत उपरोक्त योजनान्तर्गत आपके द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. का अनुमोदन प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 13.09.2006 के द्वारा कर दिया गया था, जिसके क्रम में बोर्ड निर्णय की प्रति प्राधिकरण के पत्र दिनांक 15.09.2006 के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा चुकी है।

प्राधिकरण बोर्ड बैठक दिनांक 18.11.2006 के मद संख्या 4 के क्रम में आप द्वारा प्रस्तुत डी.पी.आर. में संलग्न तलपट मानचित्रों की स्वीकृति आपके निजी स्वामित्व वाली भूमि की सीमा तक ही मान्य करने हेतु निर्णय लिया गया है। अतः तदानुक्रम में ही मानचित्र की एक प्रति एवं बोर्ड बैठक के निर्णय की प्रति संलग्न कर प्रेषित है। संलग्न मानचित्र डी.पी.आर. का भाग है। सम्पूर्ण भूमि उपलब्ध होने पर नियमानुसार तलपट मानचित्र की स्वीकृति उ०प्र०. नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 के अधीन स्वीकृत कराना होगा। मानचित्र से सम्बन्धित निर्धारित शुल्क की गणनायें करके धनराशि अलग से सूचित की जायेगी।

भवदीय,

29/11/06

(एस.के. जमान)
मुख्य वास्तुविद् एवं नगर नियोजक

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

Scanned by CamScanner

Scanned with CamScanner

29-MAY-2006 14:45

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद। UJ Fio -142/ नियोजन/06

दिनांक 29/5/2006

सेवा में,

मै० एस०एम०वी० एजेन्सीज प्रा०लि० (कन्सोर्सियम),
8सी, हिमालय बिल्डिंग,
15, बाराखम्भा रोड,
नई दिल्ली-01

विषय: **इन्टीग्रेटेड हाऊसिंग स्कीम के अन्तर्गत लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक निजी पूँजी निवेश के माध्यम से आवासीय योजनाओं के लिए भू-अर्जन एवं विकास की नीति के अधीन लाईसेंस आधारित प्रणाली के अन्तर्गत लाईसेंस हेतु प्रस्तुत आवेदन का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। आपके द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त आवेदन को प्राधिकरण बोर्ड द्वारा इस शर्त के साथ लाईसेंस प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गयी है कि कन्सोर्सियम की कोई भी सहभागी कम्पनी गाजियाबाद विकास प्राधिकरण या अन्य किसी नगर में किसी अन्य कन्सोर्सियम की सदस्य नहीं है। यदि उक्त शर्त का उल्लंघन प्राधिकरण के संज्ञान में आता है तो जारी लाईसेंस को निरस्त माना जायेगा। इसके अतिरिक्त यदि किसी कन्सोर्सियम द्वारा गाजियाबाद के अतिरिक्त अन्य किसी नगर में पंजीकरण अथवा लाईसेंस हेतु आवेदन किया जाता है तो शासनादेश संख्या 2236/आठ-1-06-45विविध/06 दिनांक 28.04.06 में निहित प्राविधानों के अनुसार एवं कन्सोर्सियम का टर्न ओवर सरपलस होने तथा पंजीकरण हेतु अन्य अर्हताओं के पूर्ण होने पर ही विचार किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार लाईसेंस इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। यह लाईसेंस शासनादेश संख्या 2711/आठ-1-05-34/विविध/2003 दिनांक 21.5.2005, 2873/आठ -1-05-34/ विविध/2003 /TC-1 दिनांक 29.12.2005 एवं 2236/ आठ -1-06-45/ विविध/2006 दिनांक 28.4.2006 में निहित प्राविधानों एवं इन्टीग्रेटड हाऊसिंग स्कीम के नियम एवं शर्तों तथा इनमें शासनादेश संख्या 2236/ आठ -1-06-45/ विविध/2006 दिनांक 28.4.2006 के अनुसार किये गये संशोधनों पर प्राप्त सहमति के क्रम में जारी किया जा रहा है।

सचिव
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,
गाजियाबाद

Scanned with CamScanner

GRANT OF LICENSE

License No. F.H. / Ghaziabad / 04

This license is granted under the policy laid down vide G.O. No. 2711/eight-1-05-34/vividh/2003 dated 21.5.2005, 2873/eight-1-05-34/ vividh/2003 /TC-1 dated 29.12.2005 and 2236/eight-1-06-45/vividh /2006 dated 28.4.2006 to M/s. SMV Agencies Pvt. Ltd. (Consortium), 8C, Hansalaya Building, 15 Barakhamba Road, New Delhi-01 for development of a housing scheme at village Shahpur Bamheta, Tehsil & Distt. Ghaziabad

2- The particulars of the land wherein the aforesaid scheme is to be set up are given in the schedule annexed hereto and duly signed. Detailed examination of housing scheme in respect of Master Plan proposal, other norms and prevailing building bye laws will be done at the time of approval of DPR.

3- This License is granted subject to the condition that the terms and conditions of Development Agreement to be executed between the Licensee and the Ghaziabad Development Authority are duly fulfilled.

Secretary,
Ghaziabad Development Authority

Scanned with CamScanner